

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

~~लोकेश~~

बनाम

~~रत्नप्रताप~~

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 101/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/03/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती लोकेश S/o रमेश गुजर R/o गण्डीनाग (से.नं. 9 चित्तौड़गढ़, पहला दरवाजा) उकार लाल मेखवाल R/o भोदडी. श्रीमती चन्दोकी श्री श्री श्री कुमावत R/o बोहराजी की कुई के पास चित्तौड़गढ़ निवासी- तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>ओछडी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1579/548 श्री</u> <u>1578/548 श्री</u> <u>566</u> <u>0.7800</u> <u>0.7100</u> <u>1.3800</u> कुल कीता <u>03</u> कुल रकबा <u>2.8700</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>ओछडी (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1579/548 श्री</u>, <u>1578/548 श्री</u>, <u>566</u> <u>0.7800</u> <u>0.7100</u> <u>1.3800</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकबा <u>2.8700</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000/-</u> रूपये अक्षरे <u>दा. 6.312</u> <u>रत्नप्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>